अहकाम

मुकेश कुमार बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 73/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/442

पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : **आदेशः** : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा मौजा लूणसरा के खाता संख्या 660 के खसरा नम्बर 391/1460 रकबा 1.2464 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम मुनालाल पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner